मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 955
29.07.2024 को उत्तर के लिए

वनों के संरक्षण हेतु निधि

955. श्री बलवंत बसवंत वानखडेः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कितना हेक्टेयर वन क्षेत्र है तथा उसका प्रतिशत कितना है;
(ख) विगत पांच वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, विकास एवं संवर्धन के लिए उपलब्ध कराई गई निधि का योजना-वार, वर्ष-वार तथा महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में अनुकूलन कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि के अंतर्गत केंद्रीय योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अंधाधुंध विकास तथा वन एवं प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है; तथा
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा प्रकाशित अद्यतन भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर)-2021 के अनुसार देश का कुल वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। महाराष्ट्र राज्य सहित देश में वन आवरण का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, प्रकरात्मक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (कैम्पा), नगर वन योजना (एनवीआई) एवं तटरेखा पर्यावासों एवं वास्तविक आय के लिए मैंग्रोव पहल (एमआईएसएचटीआई) आदि जैसी विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के तहत निधियां उपलब्ध कराई हैं। ये निधियां वनों में और वनों के बाहर वनीकरण के माध्यम से पारिस्थितिकीय पुनर्बहाली, वन भूदृश्य की पुनर्बहाली, पर्यावास सुधार, मृदा एवं जल संरक्षण उपाय एवं संरक्षण आदि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में समर्थन प्रदान करती हैं।

इस मंत्रालय द्वारा गत पांच वर्षों में हरित भारत मिशन, कैम्पा, वन्यजीवन पर्यावासों का विकास, नगर वन योजना और एमआईएसएचटीआई आदि के तहत महाराष्ट्र सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा क्रमश: **अनुबंध-II** से **अनुबंध-VI** में दिया गया है।

(ग) भारत के संवेदनशील राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं का वित्त पोषण करने हेतु राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) स्थापित की गई थी, नाबार्ड जिसकी राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (एनआईई) है। एनएएफसीसी के तहत विभिन्न राज्यों में कुल 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2022 में एनएएफसीसी को योजना से गैर-योजना में परिवर्तित कर दिया गया था।

(घ) ग्लोबल वार्मिंग के कारण देश के विभिन्न भागों में चरम मौसमों की घटनाएं देखी गई हैं। गरम होते पर्यावरण और क्षेत्रीय मानवजनित प्रभावों के साथ पृथ्वी प्रणाली घटकों में जटिल परस्पर क्रिया के कारण स्थानीय रूप से भारी वर्षा की घटनाओं, सूखे और बाढ़ की घटनाओं की आवृत्ति, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता आदि में वृद्धि हुई।

(ङ) भारत सरकार, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी), जो सभी जलवायु कार्रवाइयों के लिए एक व्यापक ढांचा है, सहित अपने कई कार्यक्रमों और स्कीमों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एनएपीसीसी के अनुरूप अपनी जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार की है। आपदा की स्थिति में प्रभावशाली अनुक्रिया और राहत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति तैयार की गई है। आपदा जोखिम प्रबंधन में राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों की सहायता के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने कई चरम मौसम और जलवायु घटनाओं पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारत ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संबंधी गठबंधन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भी सक्रिय रूप से अग्रणी भूमिका निभाई है।

*****

अनुबंध-I

'वनों के संरक्षण हेतु निधि' के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को उत्तर दिये जाने के लिए पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 955 के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

आईएसएफआर 2021 के अनुसार देश में वनावरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**भौगेलिक क्षेत्र**	**वनावरण**	**भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत**
आंध्र प्रदेश	1,62,96,800	29,78,400	18.28
अरुणाचल प्रदेश	83,74,300	66,43,100	79.33
असम	78,43,800	28,31,200	36.09
बिहार	94,16,300	7,38,100	7.84
छत्तीसगढ़	1,35,19,200	55,71,700	41.21
दिल्ली	1,48,300	19,500	13.15
गोवा	3,70,200	2,24,400	60.62
गुजरात	1,96,24,400	14,92,600	7.61
हरियाणा	44,21,200	1,60,300	3.63
हिमाचल प्रदेश	55,67,300	15,44,300	27.73
झारखंड	79,71,600	23,72,100	29.76
कर्नाटक	1,91,79,100	38,73,000	20.19
केरल	38,85,200	21,25,300	54.70
मध्य प्रदेश	3,08,25,200	77,49,300	25.14
महाराष्ट्र	3,07,71,300	50,79,800	16.51
मणिपुर	22,32,700	16,59,800	74.34
मेघालय	22,42,900	17,04,600	76.00
मिजोरम	21,08,100	17,82,000	84.53
नगालैंड	16,57,900	12,25,100	73.90
ओडिशा	1,55,70,700	52,15,600	33.50
पंजाब	50,36,200	1,84,700	3.67
राजस्थान	3,42,23,900	16,65,500	4.87
सिक्किम	7,09,600	3,34,100	47.08
तमिलनाडु	1,30,06,000	26,41,900	20.31
तेलंगाना	1,12,07,700	21,21,400	18.93
त्रिपुरा	10,48,600	7,72,200	73.64
उत्तर प्रदेश	2,40,92,800	14,81,800	6.15
उत्तराखंड	53,48,300	24,30,500	45.44
पश्चिम बंगाल	88,75,200	16,83,200	18.96
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8,24,900	6,74,400	81.75
चंडीगढ़	11,400	2,288	20.07
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	60,200	22,775	37.83
जम्मू और कश्मीर* शेपफाइल क्षेत्र* (54,62,400)	2,22,23,600	21,38,700	39.15
लद्दाख शेपफाइल क्षेत्र * (1,68,05,500)		2,27,200	1.35
लक्षद्वीप	3,000	2,710	90.33
पुडुचेरी	49,000	5,330	10.88
सकल योग	**32,87,46,900**	**7,13,78,900**	**21.71**

** भारतीय सर्वेक्षण (अगस्त, 2021) द्वारा उपलब्ध कराया गया शेपफाइल का क्षेत्रफल एसओआई से व्यक्तिगत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्रों का ब्यौरा प्रतीक्षित हैं।*

अनुबंध II

'वनों के संरक्षण हेतु निधि' के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को उत्तर दिये जाने के लिए पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 955 के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) के तहत गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	13.43	21.28	0.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	5.04	1.66	6.12	0.00	0.09	0.00
4	हरियाणा	0.00	0.00	9.55	0.00	7.60	12.19
5	हिमाचल प्रदेश	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
6	जम्मू और कश्मीर	0.00	25.73	0.00	6.49	0.00	0.00
7	कर्नाटक	2.21	2.35	4.45	2.93	2.33	0.00
8	केरल	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	30.65	0.00	18.29	17.93	8.62	23.61
10	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	मणिपुर	4.16	6.74	9.93	5.45	8.91	0.00
12	मिजोरम	17.71	2.99	29.86	36.27	21.13	0.00
13	ओडिशा	14.19	26.01	17.74	8.4756	12.59	0.00
14	पंजाब	3.19	-	3.32	2.7393	5.38	0.00
15	सिक्किम	3.12	2.19	7.77	6.57	7.50	12.24
16	उत्तराखंड	0.00	27.89	33.99	28.40	31.94	0.00
17	पश्चिम बंगाल	9.43	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
18	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43	0.00
कुल		**106.01**	**112.65**	**156.46**	**137.29**	**112.28**	**48.05**

अनुबंध III

'वनों के संरक्षण हेतु निधि' के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को उत्तर दिये जाने के लिए पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 955 के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक प्रचालन योजना का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (1 जुलाई, 2024 तक)**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.56	0.00	2.13	0.00	10.97	6.70	10.42
2	आंध्र प्रदेश	118.00	322.97	330.82	325.00	224.09	226.70	248.37
3	अरुणाचल प्रदेश	259.15	0.00	155.46	240.35	195.29	190.69	0.00
4	असम	45.21	55.89	88.34	95.01	162.16	109.69	0.00
5	बिहार	37.40	140.18	238.76	106.84	115.42	37.88	0.00
6	चंडीगढ़	1.27	1.87	2.26	3.60	1.66	1.54	1.40
7	छत्तीसगढ़	897.52	848.51	1347.02	1500.76	688.46	471.21	519.58*
8	दिल्ली	0.00	0.00	19.55	16.15	33.93	47.15	34.55
9	गोवा	4.83	17.95	32.68	21.55	36.53	31.28	29.56
10	गुजरात	212.66	256.47	240.69	200.00	205.00	250.02	310.50
11	हरियाणा	195.95	100.97	203.95	317.59	270.68	69.03	-
12	हिमाचल प्रदेश	127.72	145.82	158.38	138.10	190.23	185.14	184.52
13	जम्मू व कश्मीर	113.76	126.74	184.33	269.97	312.69	370.55	276.38*
14	झारखंड	399.53	399.29	376.56	437.608	764.85	412.14	459.00
15	कर्नाटक	101.41	146.23	212.94	321.09	270.98	313.89	275.85
16	केरल	7.96	0.00	15.78	25.13	17.26	9.06	8.93
17	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.55	0.00
18	मध्य प्रदेश	383.67	456.09	860.93	713.46	889.84	1070.61	1109.82
19	महाराष्ट्र	230.00	499.38	599.32	688.27	708.11	597.57	720.82
20	मणिपुर	24.85	30.36	27.79	25.09	22.59	20.26	0.00
21	मेघालय	0.00	0.00	33.97	36.40	26.67	30.91	24.75
22	मिजोरम	8.30	0.00	32.66	18.08	16.74	14.60	22.77
23	ओडिशा	0.00	610.52	773.39	901.03	1191.31	948.04	1099.58
24	पंजाब	102.56	102.15	177.85	218.06	203.01	257.10	125.94
25	राजस्थान	205.67	265.39	280.70	286.70	249.19	286.49	198.44
26	सिक्किम	0.00	54.99	75.49	95.30	92.85	79.95	44.00
27	तमिलनाडु	7.71	0.00	66.62	0.00	38.22	44.149	57.80*
28	तेलंगाना	237.38	501.26	483.78	752.71	772.65	455.30	404.85*
29	त्रिपुरा	16.70	20.83	21.51	35.242	52.90	59.77	61.87
30	उत्तर प्रदेश	150.60	285.68	442.01	586.89	344.08	172.04	155.24
31	उत्तराखंड	318.30	218.00	353.64	726.88	320.15	383.82	335.37
32	पश्चिम बंगाल	23.10	70.07	74.00	58.30	52.83	79.40	63.51
	कुल	**4232.77**	**5677.61**	**7913.31**	**9161.15**	**8481.34**	**7293.23**	**6783.82**

* वित्त वर्ष 2023-24 की स्पिल ओवर राशि सहित

अनुबंध- IV

'वनों के संरक्षण हेतु निधि' के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को उत्तर दिये जाने के लिए पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 955 के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

केंद्रीय प्रायोजित योजना- 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	132.64	0	135.77	25.125	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	512.69	312.5865	419.80617	276.44062	672.462
4	असम	164.26	0	0	209.1464	565.10763
5	बिहार	148.142	205.1644	410.85952	0	336.37223
6	चंडीगए	0	25.16	0	21.6241	16.498
7	छत्तीसगढ़	310.0318	104.35936	274.5903	104.457	116.24868
8	गोवा	111.654	0	0	0	50.10
9	गुजरात	0	124.5849	0	200.01	206.99
10	हरियाणा	237.6078	18.2212	127.331	30.1575	167.85
11	हिमाचल प्रदेश	375.76554	187.63518	197.09452	114.3205	94.15328
12	जम्मू और कश्मीर	0	80.62863	0	0	69.57972
13	झारखंड	93.96	198.2265	79.53315	0	14.91025
14	कर्नाटक	739.046	586.12634	1256.59314	291.71146	581.52346
15	केरल	845.026	731.2845	295.7737	224.4735	921.0361
16	मध्य प्रदेश	629.266	801.60127	389.34906	265.5508	471.81959
17	महाराष्ट्र	715.781	146.08	0	350.3879	554.69645
18	मणिपुर	396.455	241.12	142.50646	180.64379	231.72407
19	मेघालय	238.839	263.507	530.51253	0	243.56611
20	मिजोरम	431.79	339.60855	198.9678	190.1977	304.207
21	नगालैंड	953.69	260.00105	342.0315	725.6565	1306.3275
22	ओडिशा	701.504	697.50	726.80273	967.4976	612.81161
23	राजस्थान	741.315	309.12634	1007.64845	86.78886	0
24	सिक्किम	557.355	349.623	182.97174	239.66048	187.03237
25	तमिलनाडु	409.505	334.0354	390.75715	132.95205	373.8902
26	तेलंगाना	0	36.59304	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	426.251	312.9244	169.06261	266.7472	290.64425
28	उत्तराखंड	1401.19	441.61031	226.34415	212.9662	498.497
29	पश्चिम बंगाल	891.073	710.61953	757.25599	201.30866	385.29988
30	पुडुचेरी	0	0	0	0	5.22
31	लक्षद्वीप	193.272	462.409	462.086	269.9055	124.655
32	दिल्ली	0	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	90.317	260.679	0	0	186.05514
34	लद्दाख सं.रा.क्षे.	0	223.17292	31.95	61.11591	0.06
सकल योग		**12448.42614**	**8764.18832**	**8755.59767**	**5648.84523**	**9589.33752**

अनुबंध-V

'वनों के संरक्षण हेतु निधि' के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को उत्तर दिये जाने के लिए पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 955 के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2020-21 सं 2024-25 तक गत पांच वर्षों के लिए नगर वन योजना के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	56.35	0	0	0	56.35
2	आंध्र प्रदेश	0	117.4	358.61	5938.68	0	6414.69
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	56	24	24	104
4	असम	0	169.61	0	0	0	169.61
5	बिहार	143.71	100.78	137.61	44.804	0	426.904
6	चंडीगढ़	0	0	13.412	0	0	13.412
7	छत्तीसगढ़	0	690.42	0	0	0	690.42
8	गोवा	0	143.71	0	61.59	0	205.3
9	गुजरात	0	297.5	203	0	0	500.5
10	हरियाणा	0	449.02	0	0	0	449.02
11	हिमाचल प्रदेश	0	166.46	319.4	0	0	485.86
12	जम्मू और कश्मीर	0	138.46	476.28	107.34	0	722.08
13	झारखंड	87.71	236.53	1762.8	145.29	0	2232.33
14	कर्नाटक	216.02	140.35	0	260.44	0	616.81
15	केरल	0	1055.28	0	0	0	1055.28
16	मध्य प्रदेश	216.86	1010.7	1175.1	0	2442.53	4845.19
17	महाराष्ट्र	158.06	156.86	193.87	0	0	508.79
18	मणिपुर	0	143.71	0	0	0	143.71
19	मेघालय	0	0	242.76	0	0	242.76
20	मिजोरम	0	284.06	1766.1	121.74	0	2171.9
21	नगालैंड	0	129.29	0	1895.29	0	2024.58
22	ओडिशा	0	2030.83	0	0	0	2030.83
23	पंजाब	0	262.08	0	366.088	0	628.168
24	राजस्थान	0	444.36	848.12	72.8	508.956	1874.24
25	सिक्किम	0	0	390.97	42	0	432.97
26	तमिलनाडु	0	593.11	630	0	0	1223.11
27	तेलंगाना	0	0	585.62	0	0	585.62
28	त्रिपुरा	0	353.36	0	151.44	0	504.8
29	उत्तर प्रदेश	0	1968.3	5.6	0	0	1973.9
30	उत्तराखंड	111.3	0	86.72	0	0	198.02
31	पश्चिम बंगाल	0	102.06	72.8	158.07	0	332.93
कुल		**933.66**	**11241**	**9324.8**	**9389.6**	**2975.5**	**33864**

अनुबंध- VI

'वनों के संरक्षण हेतु निधि' के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को उत्तर दिये जाने के लिए पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 955 के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

एमआईएसएचटीआई के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	रुपए करोड़ में
1	केरल	0.67
2	गुजरात	6.20
3	पश्चिम बंगाल	3.74
4	पुडुचेरी	1.94
कुल		**12.55**